न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 140/2025 राजस्व वाद

1. पप्पु सिंह पुत्र लादु सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी– कबराडिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. नारायण सिंह पुत्र लादु सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी– कबराडिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

----वादीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र बालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी– कबराडिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भगवानपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय, भगवानपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा, जिला भीलवाडा

---प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वाद बाबत् कब्जायाबी आराजियात

उपस्थितः–

1 मुकेश सिंह तंवर ----अधिवक्ता वादीगण

2 एकपक्षीय ---- प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02

3 पेरोकार सरकार ---- उपस्थित

::निर्णय::

दिनांकः–12.05.2026

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183–राज० टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम कबराडिया, पटवार हल्का कबराड़िया, भू अभिलेख निरीक्षक बेमाली, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा में खाता संख्या 269 में वर्णित आराजी नंबर–1503/2, 1504/2, 1509/2, 1510/1, 1512/2, 1514, 1518, 1878/591, 591 कुल किता 09 कुल रकबा 2.2765 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 92/2021 पर दर्ज होकर निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 03.04.2024 को भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिससे जानकारी हुई कि प्रतिवादी ने वादीगण की आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.3794 हैक्टेयर में से 0.0253 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा पाया गया तथा इस पर प्रतिवादी संख्या 01 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सिपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कबराडिया, पटवार हल्का कबराड़िया, के खाता संख्या 269 आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.3794 हैक्टेयर में से 0.0253 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा है। उसे हटाकर वादी को सुपुर्द करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01लगायत 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता यादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैने पक्षकारन के अधिवक्त की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएवः

::आदेश::

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कबराडिया के खाता संख्या 269 मे वर्णित आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.3794 हैक्टेयर में से 0.0253 हैक्टेयर भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादी को सुपिर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा